संख्या: 22/2017/1417/ सत्रह-म-2017-6-9(111)/16

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक मत्स्य
मत्स्य निदेशालय
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 24अगस्त, 2017

विषय: मत्स्य सेक्टर में शतप्रतिशत राज्य पोषित योजना के वित्तीय वर्ष 2017-18 में तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष्य लेखानुदान अवधि की आवंटित धनराशि के पश्चात अवशेष धनराशि रू0 109.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-10/2017/587/सत्रह-म-2017-6-9(111)/16 दिनांक 02-05-2017 के क्रम में प्रेषित अपने पत्र संख्या-457/नि0शा0/2016-17 दिनांक 09 अगस्त, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मत्स्य सेक्टर में शतप्रतिशत राज्य पोषित योजना के वित्तीय वर्ष 2017-18 में तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास योजनान्तर्गत लेखानुदान अवधि की आवंटित धनराशि के पश्चात आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष्य अवशेष धनराशि रू0 109.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में अवगत कराना है कि तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक में प्राविधानित बजट धनराशि रू0 187.50 लाख में से लेखानुदान अवधि (माह अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक 5/12 भाग) हेतु धनराशि रू0 78.00 लाख की वित्तीय स्वीकति शासनादेश संख्या-10/2017/587/सत्रह-म-2017-6-9(111)/16 दिनांक 02-05-2017 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

3- अत: इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संयुक्त निदेशक मत्स्य , मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक में प्राविधानित बजट धनराशि रू0 187.50 लाख में से लेखानुदान अवधि हेतु निर्गत धनराशि रू0 78.00 लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 109.50 लाख (रू0 एक करोड नौ लाख पचास हजार मात्र) को चालू

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन, 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0409- तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास,27- सब्सिडी के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय संलग्न तालिका के अनुसार 75 जनपदों के लिए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

1- तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-17/2016/1902/सत्रह-म-2016-6-9(111)/2016 दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में अग्रिम आहरित कर किसी बैंक /पी0एल0ए0 में जमा नहीं की जायेगी। उक्त् धनराशि का सम्पूर्ण व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया जायेगा, जिसकी वित्तीय /भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

3- उ0प्र0 बजट मैनुअल के आठवें अध्याय के अनुलग्नक-ए के अनुसार अपेक्षित विवरण अवश्य रखा जाय/उपलब्ध कराया जाय।

4- धनराशि का आवंटन एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0 /डाकघर/ बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

6- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित वितरण धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियत्रंण के सम्बंध में शासनादेश संख्या- बी0-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त् विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ –साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

8- विगत वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रश्नगत योजना हेतु निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

9- जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय और एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

10-स्वीकृतियॉ जारी करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नही हुआ / हो रहा है।

4- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन 101- अन्तर्देशीय मछली पालन- 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0409- तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास 27- सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या – 1/2017/ बी0-1-02/दस -2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी,2017, कार्यालय ज्ञाप संख्या -3 /2017/ बी0-1-348 /दस -2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या -8 /2017/बी0-1-1190 /दस -2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त 2017 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक – यथोक्त

भवदीय

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव ।

संख्या - 22/2017/1417 (1) /सत्रह-म-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- संयुक्त निदेशक (मत्स्य) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
5- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
6- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त् (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजनअनु0 -3
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

संख्या 22/2017/ 1417 /सत्रह-म-2017–6-9 (111)/ 2016 दिनांक 24 अगस्त 2017 का

संलग्नक-

वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास योजनान्तर्गत75 जनपदों हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

क्र0 सं0	जनपद	तालाबो के उत्पादन का लक्ष्य		नर्सरी निर्माण हेतु लक्ष्य (तालाब के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत)		प्रति नर्सरी 0.1 हे0 हेतु इकाई लागत 0.50 लाख की दर से कुल धनराशि (रू0 लाख में)	50 प्रतिशत की दर से अनुमन्य अनुदान (रू0 लाख में)	आय-व्ययक अनुमान 2017-18 (रू0 लाख में)	लेखानुदान अवधि हेतु आवंटित धनराशि (रू0 लाख में)	अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति (रू0 लाख में)
		संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अलीगढ	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
2	हाथरस	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
3	एटा	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
4	कासगंज	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
5	आगरा	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
6	फिरोजाबाद	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
7	मैनपुरी	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
8	मथुरा	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
9	आजमगढ	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
10	मऊ	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
11	बलिया	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
12	इलाहाबाद	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
13	कौशाम्बी	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
14	फतेहपुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
15	प्रतापगढ	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
16	कानपुर नगर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
17	कानपुर देहात	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
18	इटावा	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

19	औरैया	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
20	फर्रूखाबाद	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
21	कन्नौज	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
22	गोरखपुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
23	महराजगंज	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
24	देवरिया	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
25	कुशीनगर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
26	बस्ती	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
27	संतकबीर नगर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
28	सिद्धार्थ नगर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
29	बांदा	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
30	चित्रकूट	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
31	हमीरपुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
32	महोबा	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
33	झांसी	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
34	जालौन	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
35	ललितपुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
36	गोण्डा	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
37	बलरामपुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
38	बहराईच	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
39	श्रावस्ती	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
40	फैजाबाद	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
41	अम्बडेकर नगर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
42	सुल्तानपुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
43	अमेठी	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
44	बाराबंकी	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
45	बरेली	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
46	बदायूं	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
47	शाहजहॉपुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
48	पीलीभीत	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
49	मिर्जापुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

50	सोनभद्र	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
51	संतरविदास नगर (भदोही)	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
52	मुरादाबाद	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
53	सम्भल	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
54	अमरोहा	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
55	रामपुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
56	बिजनौर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
57	मेरठ	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
58	बागपत	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
59	गाजियाबाद	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
60	गौतमबुद्ध नगर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
61	हापुड	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
62	बुलन्दशहर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
63	लखनऊ	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
64	उन्नाव	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
65	रायबरेली	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
66	सीतापुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
67	हरदोई	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
68	लखीमपुर खीरी	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
69	वाराणसी	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
70	चन्दौली	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
71	गाजीपुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
72	जौनपुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
73	सहारनपुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
74	**मुजफ्फर नगर**	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
75	शामली	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04	1.46
	योग -	750	750.00	750	75.00	375.00	187.50	187.50	78.00	109.50

(कुल रू0 एक करोड नौ लाख पचास हजार मात्र)

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com